



इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर
कृषि विज्ञान केन्द्र



ग्राम-पाहंदा (अ), वि.ख.-पाटन, दुर्ग, (छ.ग.) 490042

Email-kvkdurgigkv@gmail.com

Contact No.-9425213284

क्रमांक/के.वी.के./दुर्ग/स्था./संविदा/2020-21/584

दिनांक: 10/12/2020

प्रति,

कुल सचिव,
इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय,
रायपुर (छ.ग.)


द्वारा :- उचित माध्यम।

विषय :- विश्वविद्यालय के वेबसाइट पर विज्ञापन अपलोड करने बाबत।

—0000—

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि कृषि विज्ञान केन्द्र, पाहंदा (अ), दुर्ग में सहायक वर्ग-01, वाहन चालक एवं भृत्य/चौकीदार के रिक्त पद पर निश्चित वेतन में संविदा नियुक्ति हेतु विश्वविद्यालय के वेबसाइट पर विज्ञापन अपलोड करने संबंधित को निर्देशित करने का कष्ट करेंगे ताकि उपरोक्त पद पर संविदा नियुक्ति की जा सके।

संलग्न : विज्ञापन प्रारूप एवं नियम व शर्तों की प्रति हार्ड व साफ्ट कॉपी।


वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं प्रमुख

निदेशक, विस्तार सेवार्यें, इ.गा.कृ.वि.वि., रायपुर



इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर कृषि विज्ञान केन्द्र



ग्राम-पाहंदा (अ), वि.ख.-पाटन, दुर्ग, (छ.ग.) 490042

Email-kvkdurgigkv@gmail.com

Contact No.-9425213284

क्रमांक / के.वी.के. / पाहंदा-दुर्ग / स्था. / संविदा / 2020-21 /

दिनांक: /09/2020

(संविदा नियुक्ति हेतु विज्ञापन)

इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में संचालित कृषि विज्ञान केन्द्र, पाहंदा (अ), दुर्ग में निम्नलिखित रिक्त पद पर निश्चित वेतन में संविदा के माध्यम से नियुक्ति हेतु वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं प्रमुख, कृषि विज्ञान केन्द्र, पाहंदा (अ), दुर्ग 490042 को संबोधित साधारण डाक/स्पीड पोस्ट/पंजीकृत डाक के माध्यम से दिनांक 05.01.2021 सायंकाल 5.00 बजे तक छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों से विस्तृत विज्ञापन में दिये गये निर्धारित प्रारूप में आवेदन-पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। निर्धारित तिथि के पश्चात प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जावेगा। डाक द्वारा विलम्ब से प्राप्त आवेदन-पत्रों पर कृषि विज्ञान केन्द्र, पाहंदा (अ), दुर्ग जिम्मेदार नहीं होगा। व्यक्तिगत रूप से कार्यालय में सीधे, खुला अथवा कोरियर द्वारा प्राप्त आवेदन-पत्र स्वीकार नहीं किये जावेंगे। पद का विवरण निम्नानुसार है :-

क्र.	पदनाम	संविदा का निश्चित वेतन (रूपये प्रतिमाह)	श्रेणीवार आरक्षित पदों की संख्या				कुल
			अनारक्षित	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य पिछडा वर्ग	
01.	सहायक वर्ग - 1	20,900/-	01	-	-	-	01
02	वाहन चालक	14,200/-	01	-	-	-	01
03.	भृत्य/चौकीदार	11,360/-	01	-	01	-	02

आवेदन की अंतिम तिथि 05.01.2021

आवेदन-पत्र का निर्धारित प्रारूप एवं विज्ञापन की विस्तृत जानकारी जिसमें विज्ञापित पद के लिये आवश्यक शैक्षणिक व अन्य अर्हताएं, आयु, चयन की प्रक्रिया इत्यादि कार्यालय के सूचना पटल व विश्वविद्यालय की वेबसाईट www.igau.edu.in पर देखी जा सकती है।

शैक्षणिक अर्हता :- "इंदिरा गाँधी कृषि विश्वविद्यालय गैर शिक्षकीय सेवा भर्ती विनियम, 2016" में उल्लेखित अनुसार होगी।

क्र	पदनाम	शैक्षणिक अर्हता
01	सहायक वर्ग - 1	<ul style="list-style-type: none"> केन्द्र शासन/राज्य शासन/विश्वविद्यालय/राज्य शासन के मंडल/निगम/आयोग/प्राधिकरण से उच्च/समकक्ष पद से सेवानिवृत्त जिन्होंने 70 वर्ष की आयु पूर्ण न की हो, को प्राथमिकता। आवश्यक न्यूनतम अर्हता (सेवानिवृत्त कर्मचारी न मिलने की स्थिति में) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में स्नातक। किसी मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एंट्री ऑपरेटर/प्रोग्रामिंग में 01 वर्षीय डिप्लोमा प्रमाण पत्र। कम्प्यूटर से संबंध में कौशल परीक्षा ली जाएगी।
02	वाहन चालक	<ul style="list-style-type: none"> आठवीं कक्षा उत्तीर्ण। हल्के वाहन परिचालन का जीवित लाइसेंस। (वाहन परिचालन हेतु कौशल परीक्षा ली जायेगी।)
03	भृत्य/चौकीदार	<ul style="list-style-type: none"> मान्यता प्राप्त मंडल से कक्षा पाँचवी उत्तीर्ण।

(Handwritten signatures)



इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर

कृषि विज्ञान केन्द्र

ग्राम-पाहंदा (अ), वि.ख.-पाटन, दुर्ग, (छ.ग.) 490042

Email-kvkdurgigkv@gmail.com

Contact No.-9425213284



नियम एवं शर्त :-

1. आवेदन पत्र के साथ स्व सत्यापित सभी प्रमाण पत्र एवं नवीनतम पासपोर्ट साईज का फोटो संलग्न करें।
2. उपरोक्त सभी पदों को भरने/न भरने का तथा रिक्त पदों की संख्या को बढ़ाने/घटाने का पूर्ण अधिकार विश्वविद्यालय को होगा तथा किसी भी प्रकार से विवाद की स्थिति उत्पन्न होने पर विश्वविद्यालय का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा।
3. भर्ती की प्रक्रिया इंदिरा गाँधी कृषि विश्वविद्यालय गैर शिक्षकीय सेवा भर्ती विनियम 2016 में विहित प्रावधान अनुसार की जावेगी।
4. अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए आरक्षण छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अ.ज.जा./अ.जा. एवं अ.पि.वर्ग हेतु आरक्षण) नियम 2012 के अनुसार होगा।
5. छत्तीसगढ़ की स्थानीय महिला उम्मीदवार हेतु प्रत्येक संवर्ग में 30 प्रतिशत आरक्षण नियमानुसार उपलब्ध होगा।
6. निःशक्तजनों हेतु 06 प्रतिशत आरक्षण नियमानुसार उपलब्ध रहेगा।
7. अभ्यर्थियों को छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी होना अनिवार्य है। (प्रमाण पत्र संलग्न करें)
8. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को सक्षम अधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र संलग्न करना आवश्यक है। प्रमाण पत्र के अभाव में आरक्षण का लाभ दिया जाना संभव नहीं होगा। आवश्यक होने पर विश्वविद्यालय प्रमाण पत्र की वैधता की जाँच करा सकता है।
9. आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 05.01.2021 को अभ्यर्थी की आयु 18 वर्ष से कम एवं 35 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। जन्म तिथि के प्रमाणीकरण हेतु प्रमाण पत्र संलग्न करें।
10. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों, महिला उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा में शिथिलता हेतु छत्तीसगढ़ शासन के नियमों व शर्तों के अनुसार रहेगी।
11. इंदिरा गाँधी कृषि विश्वविद्यालय में विभिन्न स्तर पर कार्यरत कर्मियों को अधिकतम आयु सीमा में 05 (पाँच) वर्ष की छूट प्राप्त होगी।
12. शासकीय/अर्धशासकीय संस्थानों में कार्यरत कर्मचारियों को अपना आवेदन पत्र नियोक्ता के माध्यम से अनापत्ति प्रमाण पत्र सहित प्रस्तुत किया जाना होगा। आवेदन पत्र की अग्रिम प्रति प्राप्त होने की स्थिति में साक्षात्कार के समय अपने नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा अन्यथा साक्षात्कार में सम्मिलित नहीं हो सकेंगे।
13. अलग-अलग पदों के लिए अलग-अलग आवेदन करना होगा।
14. अनारक्षित/अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को रु. 300/- एवं अ.जा./अ.ज.जा. के अभ्यर्थियों को रु. 200/- का डिमांड ड्राफ्ट वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं प्रमुख, कृषि विज्ञान केन्द्र, पाहंदा (अ) दुर्ग अदायकर्ता बैंक- भारतीय स्टेट बैंक, कुम्हारी, दुर्ग के नाम से आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना होगा। किसी भी स्थिति में राशि वापस नहीं की जावेगी।
15. अपूर्ण, अस्पष्ट, त्रुटिपूर्ण एवं विलंब से प्राप्त आवेदन पत्र अमान्य कर दिये जावेंगे। तथा इस संबंध में कोई सूचना नहीं दी जावेगी।
16. संविदा नियुक्ति प्रथमतः 01 वर्ष अथवा परियोजना अवधि अथवा पद पर नियमित नियुक्ति (चयन/पदोन्नति द्वारा पदस्थापना) जो भी कम हो के लिए की जावेगी। पद नियमित रूप से न भरने की स्थिति में विश्वविद्यालय की पूर्व अनुमति से संविदा नियुक्ति 01-01 वर्ष कर 02 बार बढ़ाई जा सकती है, जिसके लिए पृथक से नियुक्ति प्रक्रिया करने की आवश्यकता नहीं होगी। किसी भी स्थिति में संविदा नियुक्ति 03 वर्ष से अधिक अवधि के लिए नहीं की जावेगी। (03 वर्ष की संविदा नियुक्ति पूर्ण होने पर पुनः नियुक्ति प्रक्रिया किया जाना आवश्यक होगा)।
17. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को नियमित कर्मियों के समान आकस्मिक अवकाश एवं ऐच्छिक अवकाश की पात्रता होगी। किन्तु अन्य किसी प्रकार का अवकाश नहीं दिया जावेगा। आकस्मिक अवकाश एवं ऐच्छिक अवकाश पूर्ण महीनों के लिए अनुपातिक आधार पर दिए जावेंगे।



इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर कृषि विज्ञान केन्द्र




ग्राम-पाहंदा (अ), वि.ख.-पाटन, दुर्ग, (छ.ग.) 490042

Email-kvkldurgigkv@gmail.com

Contact No.-9425213284

18. किसी भी अभ्यर्थी की नियुक्ति संविदा पर होने पर वह नियमितकरण के लिए किसी प्रकार का दावा नहीं करेगा ना ही उस पद के विरुद्ध उस व्यक्ति विशेष को नियमित भर्ती के समय कोई प्राथमिकता/छूट दी जावेगी।
19. संविदा पर निश्चित वेतन के अतिरिक्त अन्य भत्ते देय नहीं होंगे। किन्तु संविदा पर नियुक्ति व्यक्ति को उस पद हेतु निर्धारित टी.ए./डी.ए. प्राप्त होगा। यदि राज्य शासन/राज्य शासन के मण्डल निगम/आयोग/विश्वविद्यालय/प्राधिकरण आदि से सेवानिवृत्त कर्मचारियों की नियुक्ति की जाती है तो उन्हें छत्तीसगढ़ शासन के नियमानुसार वेतन का भुगतान किया जावेगा। संविदा पर कार्यरत कर्मचारी का वेतन परियोजना/कृषि विज्ञान केन्द्र में रिक्त नियमित पद/तदर्थ पद के विरुद्ध आहरित होगा। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा संविदा वेतन एवं टी.ए./डी.ए. के समय-समय पर किये जाने वाले संशोधन उसी तिथि से विश्वविद्यालय में भी लागू होंगे।
20. अभ्यर्थी का कार्य संतोषप्रद न होने पर एक महीना का नोटिस देकर उनकी सेवायें समाप्त की जा सकेंगी। नियुक्त व्यक्ति भी एक महीने की नोटिस देकर सेवा से त्याग-पत्र दे सकता है।
21. चयन हेतु साक्षात्कार का आयोजन नहीं होगा, भर्ती मेरिट के आधार पर की जावेगी। **सहायक वर्ग-1 एवं वाहन चालक हेतु कौशल परीक्षा आयोजित की जायेगी।**
22. कोई भी उम्मीदवार जिसने विवाह के लिये नियत की गई न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा।
23. कोई भी पुरुष अभ्यर्थी जिसकी एक से अधिक पत्नी जीवित हो या ऐसी महिला अभ्यर्थी जिसने ऐसे पुरुष के साथ विवाह किया हो जो पूर्व से विवाहित हो और उसकी पत्नी जीवित हो, विश्वविद्यालय की सेवा के लिये अर्ह नहीं माने जावेंगे।
24. ऐसे अभ्यर्थी जिसकी दो से अधिक संतान हैं जिनमें से एक का जन्म 26.01.2001 को या उसके पश्चात् हुआ हो, नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।
25. चयन उपरांत यदि कोई जानकारी असत्य पाई जाती है तो की गई नियुक्ति समाप्त कर दी जावेगी साथ ही संबंधित के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।
26. लिफाफे के ऊपर आवेदित पद का नाम एवं वेतनमान स्पष्ट रूप से लिखें।
27. आवेदन पत्र के साथ स्वयं का पता लिखा लिफाफा 5/- ₹. मूल्य का डाक टिकट सहित अनिवार्य रूप से संलग्न करें।
28. पात्र एवं अपात्र अभ्यर्थियों की सूची दिनांक 18.01.2021 को अथवा पश्चात् विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.igau.edu.in पर अपलोड की जावेगी। जिन अभ्यर्थियों को अपना दावा आपत्ति प्रस्तुत करना होगा, वे सूची प्रसारित होने के 07 दिवस के अंदर प्रस्तुत करेंगे। निर्धारित तिथि पश्चात् प्राप्त दावा आपत्ति पर विचार नहीं किया जावेगा।
29. विज्ञापन, आवेदन पत्र का प्रारूप एवं अन्य समस्त संबंधित जानकारी विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.igau.edu.in पर उपलब्ध है। आवेदन पत्र विश्वविद्यालय के वेबसाइट से भी डाउनलोड किया जा सकता है।


वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं प्रमुख

आवेदन पत्र का प्रारूप

प्रति,

.....

स्व प्रमाणित
 वर्तमान की
 पासपोर्ट साइज
 की फोटो चस्पा
 करें।

विज्ञापन क्रमांक एवं दिनांक :
 आवेदित पद का नाम एवं संविदा का :
 निश्चित वेतन (रूपये प्रतिमाह) :

01. आवेदक का पूरा नाम (हिन्दी में) :
 (अंग्रेजी कैपीटल लेटर में) :

02. पिता/पति का नाम :

03. लिंग (महिला/पुरुष) :

04. वैवाहिक स्तर एवं विवाह दिनांक :
 (विवाहित/अविवाहित/विधवा/विधुर) :

05. पति/पत्नी का नाम :

06. विवाहित होने पर जीवित बच्चों की संख्या जन्म दिनांक :

07. 26.01.2001 को या उसके पश्चात जन्म जन्म दिनांक :

लिये बच्चों की संख्या

08. यदि निःशक्तता है तो निःशक्तता का प्रकार : 1.दृष्टिबाधित 2.श्रवण बाधित 3.अस्थि बाधित

09. निःशक्तता का प्रतिशत :

10. जाति :

11. संवर्ग (सामान्य/अपिबर्ग/अजा./अजजा) :
 (आरक्षित वर्ग समक्ष अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र की सत्यापित छायाप्रति संलग्न करें।)

12. छत्तीसगढ़ मूल निवासी प्रमाण पत्र :
 हों/नहीं (यदि हों तो संलग्न करें)


13. जन्मतिथि (अंको में) :
 (शब्दों में) :

14. दिनांक 05.01.2021 को आयु : वर्ष माह दिन

15. स्थायी पता :

16. पत्र व्यवहार का वर्तमान पता :

(मोबाइल नंबर एवं ई-मेल आईडी सहित)



17. शैक्षणिक योग्यता :-

क्र.	उत्तीर्ण परीक्षा / डिग्री	बोर्ड / वि.वि. का नाम	उत्तीर्ण करने का वर्ष	विषय	प्राप्त प्रतिशत / ग्रेड	श्रेणी

18. अनुभव :-

क्र.	कार्यालय का नाम	पदनाम एवं कार्य की प्रकृति	अवधि


19. वर्तमान में कार्यरत हो तो कार्यालय का नाम :
 एवं पदनाम (कार्यालय प्रमुख का अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न करें)
20. विश्वविद्यालय स्तर पर एन.सी.सी. / एन.एस.एस. खेलकुद एवं सांस्कृतिक गतिविधियाँ (यदि हों तो संलग्न करें।)
21. अन्य योग्यता :-
22. संलग्न प्रमाण पत्रों की सूची :-
- | | |
|-----|-----|
| 01. | 02. |
| 03. | 04. |
| 05. | 06. |
| 07. | 08. |

टीप :- जाति प्रमाण पत्र, मूल निवासी, जन्मतिथि, शैक्षणिक योग्यता, प्रशिक्षण, अनुभव तथा अन्य प्रमाण पत्रों की स्व अभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें।

आवेदक का नाम एवं हस्ताक्षर

// घोषणा पत्र //

मैं घोषणा करता/करती हूँ कि उपरोक्त सभी जानकारी मेरे विवेक अनुसार पूर्णतः सत्य एवं सही है। इनमें से कोई भी जानकारी असत्य पाये जाने पर मेरा आवेदन पत्र निरस्त किया जा सकेगा तथा मेरे विरुद्ध कार्यवाही की जा सकेगी। इन परिस्थितियों में नियुक्तकर्ता अधिकारी को बिना कारण बताये मेरा चयन/नियुक्ति को निरस्त करने का अधिकार होगा एवं उसका निर्णय मुझे मान्य होगा।



आवेदक का नाम एवं हस्ताक्षर

